during the Question Hour. Now I am raising the point of order under rule 249. I quote it:

> "If a Minister quotes in the Council a despatch or other State Paper which has not been presented to the Council, he shall lay the relevant paper on the Table."

Sir, on this point, I want a ruling from you. The hon. Minister for Civil Aviation was quoting from a file the nototing of the prime Minister. So, this House has every right under rule 249 to demand that the file should be placed on the Table of the House because he was quoting from it. He was not giving only the substance. He was quoting the noting. I request your ruling. I demand that the file should be placed on the Table of the House according to rue 249.

MR. CHAIRMAN: If he was quoting, he should have done that. But he said that he was not quoting it. . .(*Interruptions*). . . .

SHRI JANARDHAN POOJARY (Karnataka) Sir, he read it . .(*Interruptions*). . . .

The lpoint of order was raised under rule 249. . .(*Interruptions*). . . .

MR. CHAIRMAN: I have heard the point of order. The Minister has said that he was not quoting. . .(*Interruptions*). . . .

Please. If he has quoted, he is bound to give an authenticated copy of it. That is true.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) Sir, it was evident that he was quoting.

MR. CHAIRMAN: Kindly see Rule 249, second Proviso.
It says:—

> "Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State Papers it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

He said in the House that he did not quote.

SHRI JANARDHANA POOJARY: He said it, Sir. I heard it and you also heard it. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. I will go into the record. If he has used the words "I am quoting from the file", then certainly I will look into it.

Now, the Statement by the hon. Minister for Communications, Shrimati Sushma Swaraj.

STATEMENT BY MINISTER

Postal Strike

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से डाक कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रख रही हूं।

महोदय, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल इम्प्लाइज तथा फेडरेशन आफ नेशनल पोस्टल आर्गेनाइजेशन से संबद्ध डाक यूनियनों ने दिनांक 9.7.98 से प्रातः 6 बजे से, अपने 10 सूत्री मांगपत्र को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। इन मांगों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों पर न्यायमूर्ति तलवार समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों का कार्यान्वयन तथा उसकी सभी प्रतिकूल सिफारिशों के अस्वीकार करने, ग्रुप "डी" डाक कर्मचारियों को सेवा में प्रवेश के समय दिए जाने वाले वेतनमानों में सुधार, समयबद्ध एक पदोन्नति तथा बीसीआर ग्रेड, पोस्टमेन/मेलगार्डो/हेड मेल पियनों के सेवा में प्रवेश के समय के वेतनमानों को बढ़ाने, समयबद्ध एक पदोन्नति तथा बीसीआर ग्रेड, एलएसजी, एचएसजी-II और

एचएसजी-I के वेतनमान बढ़ाना, ड्राइवरों, वर्कशाप स्टाफ, आशुलिपिकों के वेतनमान बढ़ाना तथा बोनस फार्मूले को अंतिम रूप देना शामिल है। अन्य मांगों में सभी अर्हताप्राप्त कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को, जो पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विशेष वेतन देना, डाक लेखा संवर्गों की पुनःसंरचना, कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के वेतनमान बढ़ाना, अंशकालिक/नैमित्तिक भुगतान पर काम करने वाले कर्मचारियों/दिहाड़ी-मजदूरों को नियमित करना तथा नियमित कर्मचारियों के बराबर बोनस सहित सभी लाभ प्रदान करना है।

यह देखा जा सकता है कि अधिकांश मांगें गत वर्ष पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के विविध पहलुओं पर कर्मचारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के साथ पूर्ण विचार-विमर्श किया था और इसके बाद इन सिफारिशों में पर्याप्त सुधार करके इन सिफारिशों को लागू किया था। ऐसे मुद्दों में, जो अनिर्णीत रह गए थे, एक मुद्दा डाक विभाग के पोस्टमैन और मेलगार्ड को बढ़ा हुआ वेतनमान देने से संबंधित था और यह मुद्दा 11 सितंबर, 1997 को कर्मचारी पक्ष के साथ जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें शामिल था। सभापति जी, मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस मुद्दे को सरकार ने प्रविष्टि स्तर पर 3050-4590 रु० का बढ़ा हुआ प्रतिस्थापन वेतनमान देकर तथा पदोन्नति के दो क्रमिक चरणों में क्रमशः 3200-4900 रु० तथा 4000-6000 रु० का तदनुरूपी उच्चतर वेतनमान देकर हल कर दिया है जो अब विभाग की समयबद्ध पदोन्नति स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। इससे पोस्टमैन/मेलगार्ड तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कांस्टेबलों के बीच समानता स्थापित हुई है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के संबंध में भी सरकार ने, न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के विचाराधीन होने के कारण, 1.1.96 से उनके मूल मासिक भत्ते में 3.25 गुना वृद्धि करने के आदेश 12 नवंबर, 1997 को जारी कर दिए थे। किंतु स्टाफ फेडरेशनों के आग्रह पर ये आदेश आस्थगित रखे गए।

बोनस फार्मूले में संशोधन तथा न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित दो अन्य प्रमुख मुद्दों पर उच्च सरकारी स्तर पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। सरकार मांगपत्र में उल्लिखित अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और अन्य सरकारी विभागों/संगठनों में कार्यरत सदृश कर्मचारियों पर इन मांगों का कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इसे ध्यान में रखते हुए इन मामलों में भी निर्णय लिया जाएगा। इन मांगों के संबंध में सरकार की स्थिति से, कर्मचारी पक्ष को सरकारी स्तर पर हुई बैठकों तथा मेरे साथ हुई बैठकों में, पूर्णतया अवगत करा दिया गया था तथा कर्मचारी पक्ष से अनुरोध किया कि सरकार के सकारात्मक रवैये को ध्यान में रखते हुए, वे इस मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की हड़बड़ी न दिखायें। मेरे अनुरोध पर भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल में भाग न लेने का निर्णय किया है और यहां तक कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ ने भी जो 10 जुलाई, 1998 से हड़ताल पर जा रहे थे, अपने आपको इस हड़ताल से अलग कर लिया है। हड़ताल के पांचवें दिन अर्थात् 13.7.98 यानि कल को अखिल भारतीय डाक पर्यवेक्षक संघ (जी एल) ने भी अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का जारी रहना न तो जनहित में है और न ही विभाग या डाक कर्मचारियों के अपने हित में, विशेष रूप से सरकार के सकारात्मक रवैये को देखते हुए। हड़ताल से संबंधित मुद्दे भारत सरकार के सुलह अधिकारी के पास समाधान हेतु विचाराधीन हैं और सुलह-सफाई की कार्रवाई में सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष, दोनों ही भाग ले रहे हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 (1) डाक विभाग जैसी जनोपयोगी सेवा में उस समय हड़ताल की अनुमति नहीं देती है, जब सुलह-सफाई की कार्रवाई चल रही हो।

सभापति जी, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सरकार अपने ओर से देश में डाक सेवाओं को बनाए रखने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी और उसने इस संबंध में व्यापक प्रबंध किए हैं। सरकार भी डाक सेवाएं बनाए रखने के लिए एक आनुषंगिक योजना अपल में ला रही है ताकि जनता को असुविधा न हो। सरकार आशा करती है कि हड़ताली डाक कर्मचारी विवेक से काम लेंगे, और विशेष रूप से उस स्थिति में जब मैंने अनेक अवसरों पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के सरकार के दृढ़ निश्चय का तथा उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का और उन मांगों को न्यायोचित ढंग से हल करने का आश्वासन दिया है। अतः यह आवश्यक है कि डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली हड़ताल पर गई हुई डाक यूनियनें सरकार के प्रयासों को समझें और सूझ-बूझ तथा सहयोग का वातावरण कायम करें जिससे सभी मुद्दों का मैत्रीपूर्ण समाधान होने में मदद मिलेगी।

सभापति जी, मैं आपकी अनुमति यहां चाहती हूं क्योंकि राज्य सभा में एक प्रथा है कि इसके बाद क्लेरिफिकेशन्स पूछी जाती हैं। क्लेरिफिकेशन्स माननीय सदस्य पूछेंगे लेकिन कल चूंकि स्पेशल मेंशन के दौरान भी बहुत सी बातें आई थीं, कल रात को मैंने वे सारे वक्तव्य मंगा लिए थे! उनमें से बहुत सी बातें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। अगर आप चाहें तो उनका जवाब अभी दे दूं। हो सकता है कि उससे बहुत सी चीजें पहले ही क्लीयर हो जाएं और वे क्लेरिफिकेशन्स दोबारा न आएं और अगर आप चाहते हैं कि पहले क्लेरिफिकेशन्स पूछ ली जाएं और उनका जवाब भी साथ ही दूं, जैसा आप मुझे आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगी। केवल मेरा यह कहना है कि अगर पहले जबाब दे दूंगी उन बातों का जो कल उठाई गई थीं तो बहुत सी क्लेरिफिकेशन्स रुक सकती हैं। आप जैसा कहें, मैं वैसा करूंगी।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, पहले क्लेरिफिकेशन्स पूछने दीजिए। श्री नीलोत्पल बसु।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिम बंगाल): धन्यवाद सभापति महोदय। शुरू में जो सवाल मुझे करना है इस पूरे बयान में पिछले पांच दिन से पोस्टल कर्मचारियों की जो हड़ताल हो रही है, उस हड़ताल को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से नेगोसिएशन्स करके मामले को सुलझाने का क्या इरादा है? क्या सोच है? इसके बारे में एक भी लफ्ज नहीं है। तो पहला सवाल तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या स्थिति यह है कि सरकार सोचती है कि सरकार का जो स्टैंड है, वह बिलकुल सही है और नेगोसिएशन्स करने का कोई मौका नहीं है? कोई स्कोप नहीं है? और जब तक अपने घुटने न टेके इम्प्लॉइज और उनकी आर्गेनाइज़ेशन्स, तब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं होगा? नेगोसिएशन्स करने के बारे में सरकार की क्या सोच है? क्या रुख है? वह सुषमा जी बताएं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस बयान के ज़रिए और लगातार टेलीविजन वगैरह में भी जो बयान आ रहा है सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से, एक बात सुनने को मिल रही है कि यह स्ट्राइक पोलिटिकली मोटिवेटेड है इसलिए यहां पर तलवार कमेटी का भी ज़िक्र है। यह जो तलवार कमेटी का गठन हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि यह थी—1993 में जब पे कमीशन का गठन हो रहा था उसके पहले—क्योंकि यह प्रथा बहुत पुरानी है ई०डी० की और मैं मानता हूं कि इससे अमानवीय और कुछ नहीं है क्योंकि यह ब्रिटिश पीरियड से चलता आया है कि सारी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद भी इन कर्मचारियों को डिपार्टमेंटल इम्प्लॉइज का, सरकारी इम्प्लॉइज का, सिविल इम्प्लॉइज का दर्जा नहीं दिया जाता है। यह सवाल उठा था कि पे कमीशन इसको हल नहीं कर पाएगा और 1993 में चार दिन की पोस्टल कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। क्या यह सही है कि पोस्टल कर्मचारियों का जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष को बेहद समर्थन मिला था—सुषमा जी उन दिनों थीं, उस स्ट्रगल का समाधान इस तरह से निकाला गया कि किसी रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी पे कमीशन से अलग काम करेगी जो गहराई से ई०डी० इम्प्लाइज़ के सवालों को लेकर, बातचीत करके, अध्ययन करके उसके आधार पर सिफारिश देगी। क्या यह सही है कि वह स्ट्रगल भी पॉलीटिकल था? आज भी मांगें तलवार कमेटी की रिकमेंडेशंस को इम्पलीमेंट करने के बारे में उठती हैं, उसकी तो एक लम्बी पृष्ठभूमि है, एक लम्बा सिलसिला है और वह सिलसिला 1993 में शुरू हुआ था। It was on the basis of the struggle which was fought by the postal employees. And the Communications Minister herself was a very strong supporter of that particular struggle in 1993. Therefore, if the struggle is now termed as a politically motivated struggle, तो इसका आधार क्या है? दूसरा सवाल यह है कि क्योंकि यह बहुत टिपिकल सवाल है इसलिए ई०डी० इम्प्लाइज की बात को एक ज्यूडीशियल कमेटी रिव्यू करेगी, यह तय होने के बाद भी 1993 के बाद दो साल बीच में गुजर गये कि ज्यूडिशियल कमेटी काम करना शुरू करे, इसके लिए टर्म्स आॅफ रैफरेंस क्या होंगी, तो क्या इसके लिए दो साल का व्यवधान हो गया था? क्योंकि बेसिक सवाल यह था—पैसे का सवाल तो बाद में है—यह दर्जे का सवाल है। आर्टीकल 309 और 311 के तहत सिविल इम्प्लाइज का दर्जा उनको मिलेगा या नहीं, यह प्रमुख सवाल था। यह सब तय करने में क्या दो साल लग गये थे और दो साल के बाद क्या 1995 में तलवार कमेटी का गठन हुआ था? क्या तलवार कमेटी की रिकमेंडेशंस आने के बाद एक साल और बीत गया था या नहीं? और 1997 के सितम्बर में क्या उस समय के कम्यूनिकेशन मिनिस्टर के साथ इम्प्लाइज की यह बात हो गयी थी कि ई०डी० इम्प्लाइज की सैलरी, उनके अलाउंस, उनकी लीव, उनके बोनस और ग्रैचुटी और उनका दर्जा—इन पांच सवालों पर बातचीत करने के बाद क्या यह निर्देश पोस्टल बोर्ड को दे दिया गया था कि बातचीत करके इन सवालों को हल किया जाए और क्या डिपार्टमेंट आॅफ पोस्ट की यूनैनिमस रिकमेंडेशंस थीं कि हां, यह होना चाहिए? क्या उसके बाद यह तय हुआ था कि कैबीनेट नोट प्रीपेयर करके डिपार्टमेंट आॅफ पोस्ट, मिनिस्ट्री आॅफ कम्यूनिकेशन

कैबीनेट के पास भेजेंगे? क्या कैबीनेट के निर्णय लेने से पहले सरकार का पतन हो गया था, और सरकार का पतन होने के बाद से आज तक जब स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी, क्या आठ महीने बीत गये हैं और इस सरकार के आने के बाद क्या तीन महीने बीत गये हैं? तो इसके दौरान उनके साथ बातचीत करके समस्या का समाधान करने के लिए क्या-क्या कोशिशें हुईं? सवाल यह है कि बहुत सारी आर्थिक मांगें यहां पर रखी गयी हैं—चार्टर आॅफ डिमांड्स—कल मैं भी सुन रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे पहले जो सवाल उठाया गया था, बाद में उसमें तबदीली लाई गयी है। मुझे मालूम है कि स्ट्राइक नोटिस देने के समय जो 10 प्वाइंट चार्टर आॅफ डिमांड्स था, वह 10 प्वाइंट चार्टर आॅफ डिमांड्स पोस्टल इम्पलाइज के साथ है।

क्योंकि मिनिस्टर के बयान में यह भी कुछ इशारा है कि कुछ स्ट्राइकिंग इम्पलाइज स्ट्राइक से निकल रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट आफ पोस्ट के अंदर कितनी रिकगनाइज्ड फैडरेशन्स हैं और न्यू रिकगनाइज रूल्स हैं उसके तहत जिन दो यूनियन्स के बारे में जिक्र हुआ है, जो ज्वाइन नहीं कर रही हैं, वे क्या रिकगनाइज्ड यूनियन्स हैं? कितने रिकगेनाइज्ड फैडरेशन हैं, इन रिकगनाज्ड फैडरेशन के पीछे पोस्टल इंप्लाइज का कितना प्रतिशत समर्थन है क्योंकि यह इम्पेरेशन नहीं जाना चाहिए कि एक टफ पालिसी आपने ले रखी है, इसके चलते समाधान हो जायेगा। क्योंकि लोग स्ट्राइक छोड़कर भाग रहे हैं। एफएमपीओ और एनएफपी के पीछे What is the percentage of support that these two federations enjoy? I would also like to know whether these federations are the only recognised federations in this Department. Finally, after having sought my clarifications, I just want to make ore appeal to the Minister that the things can be negotiated. It should not be made an issue of prestige. The postal strike is affecting the entire postal network of the country. Whatever be the claims made by the Government, the fact of the matter is that today the postal services are not funcitoning. So, if in that sense, a real effort is made by the Minister and the Government to negotiate, a solution could be found out. Nothing is required to be done. The entire process has already been completed. The Government has to give an order that whatever the department of Posts has agreed, those positive recommendations of the Talwar Committee will be implemented. On this basis, solution can be found out. I would like to know whether the Minister will agree to this suggestion or not.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I am extremely sorry to say that the hon. Member of the Government, holding the charge of the Department of Communications, seems to be bent upon following a policy of total confrontation with the striking employees. It is bound to be dangerous in consequences, it is bound to create a situation which will be bad for the country bad for the system and bad for everybody. *(Interruptions)* It will be bad for everybody, including those who are running the Government. *(Interruptions)* Anyway, let us take the issue in a different way. The statement appears to be the unfortunate statement of a Minister, who does not like to resolve the dispute amicably, but would like to break the strike. The workers have a right to go on strike. They have some issues. The Government should seriously try to resolve the dispute instead of saying as to how many unions have withdrawn. The Minister has given a list of the unions who have withdrawn without letting us know the strength they enjoy. The Minister has said that alternative arrangements to run the postal system are continuing. This is how the rulers speak, not today but even yesterday. This is how the people speak. All arrangements have been made to ensure that the communications system runs more smoothly and much better than the time when there was no strike. There is a news item today that policemen are sorting letters in the city of Bombay. There is a news item that school students and college students, enjoying the patronage of a particular political combination, have been sent to despatch the letters. What an irresponsible act! While doing the job, the letters are likely to be misplaced. Ultimately, the damage will be done to the people for whom the letters are being sent, not to the Minister or his friends or the Government or the

political forces who are bent upon pursuing a policy of confrontation. Sir, the postal system has come to collapse, let the hon. Minister accept it. She cannot run the postal system with a police man. The lessons of history should be understood. The country could not be ruled by the British because colonial system had ended. But it seems the colonial culture still remains alive in the heart and head of the people who are there in power. It is unfortunate, Sir. The postal system has come to collapse, let it be understood. Now the question is the people have gone on a strike. The Government may be having its own assessment about their demands; Sir, I am not going into the details. My dear friend Nilotpal has gone into them, but the fact remains that the employees have gone on strike. Isn't it true that there were 3.5 lakh workers associated with the postal system, whose wage was much below the minimum wage? The Postal Department has been violating the labour law of the country. There is a Minimum Wage Act, and the minimum Wage Act is in force in different States; the minimum wage is fixed by the State Governments. The amount of wage being paid to 3.5 lakh workers was much below the minimum wage fixed by the Government. Absolute illegality was being perpetrated by successive Governments; I don't condone the illegality of any of the Governments which were in power ever since independence. The Minimum Wage Act is being violated. Is it a crime for them to demand that at least the minimum wage be given to them? And the Government finds satisfaction in saying "We shall settle this; we shall not settle that!" The Talwar Committee says something, the hon. Minister says something else, and somebody more important says something still different from that! Is it a fact or not? Sir, if it is a fact, then the workers do have a right to go on strike, whatever may be the consequences. That is the issue. You cannot pay them an amount below the minimum wage. You are violating your own labour law. Sir, the employees are not being paid the provident fund. This House or the Parliament has made the provisions for payment of provident fund aplicable in all cases, in the case of contract labour, in the case of casual labour. This Government has not been paying. The Government is on continuity. I know they are here only for a few months. Nobody knows how long they will be there. But they are carrying forward the legacy of continued Governments. Therefore, the point is, the prividend fund was not being paid, vilating the labour law of the country, the bonus was not being paid and the gratuity was not being paid. Sir, the Government was violating the labour law at random. It is only after so many years that the employees have gone on strike, and there was a notice for strike given one month in advance, and prior to this continuous strike, there had been a strike some days ago. Why did the Government wait, for long, for a strike to take place? Why didn't the negotiations start earlier? They wanted a strike to start, a strike to set in: And then, the hon. Minister concerned and some other Ministers of Government would have a time to sit with the employees and have a cup of tea with them! Why didn't the negotiations start earlier? And if, at all, the negotiations started earlier, why didn't the hon. Minister intervene earlier? Why has the strike taken place at all? This is my question. I charge the Government with deliberately allowing the strike to take place and making an attempt to break the strike. The country cannot be taken for a ride by any Government, from this side or that side. The country cannot be taken for a ride. It is a basic human problem, a basic human distress, a question of violation of labour laws. Violation of labour law cannot be negotiated. Implementation of the labour law cannot be negotiated. Therefore, I plead with the Government for a negotiated settlement. It is not that the workers should come crawling on the ground to say, "Madam, these are our demands." Let there be a respectable agreement. Let the Government be

generous, generous not because of kindness, but because of the responsibility that it has been called upon to perform. Sir, let us not know who have withdrawn the strike, let us not know whether the police man is there on the job, let us not know the alternative system which is being set up. We want a negotiated settlement and a negotiated settlement as early as possible. I take this opportunity to make an appeal to the striking employees not to carry on and precipitate the strike and to enter into an honourable negotiated settlement. I don't suggest a dishonourable surrender, but an honourable negotiated settlement. Let the policy of an honourable negotiated settlement be followed by the Government. Let the policy of a dishonourable surrender by the employees be given up by the Government. Let the confrontationist policy be given up by the Government. Today there is a national protest all over the country. Thousands of employees are demonstrating today. Most of the trade unions are supporting their cause. Let the Government see the writings on the wall. The entire trade union movement is combined together. Therefore, it is not a question whether this or that riff-raff trade union is withdrawn from the strike or not. The Government is facing the united might of the total traded union movement. Let the Government read what is written on the wall. I appeal to my good friend, Madam Sushmaji, to be more generous and to look for a negotiated settlement without asking for a dishonourable surrender by the employees. I also take this opportunity to appeal to the striking employees to create a situation where an amicable settlement could be found without any further delay.

SHRI VAYALAR RAVI (KERALA): Sir, the statement itself shows the justification for the strike. The hon. Minister has not spealt out what she has done and what she proposes to do. The Minister is mentioning what happened in September, 1997. It is a past story. She has very cleverly evaded the issue. I don't want to explain everything. But it is very clear. There was a dispute on the decision in 1997 itself. What has the Government done on that decision? She is talking of promotion. After ten years they are getting a separate scale! In 1996 there was a decision that the salary or the allowance of the ED employees should be 3.25 times more. It doesn't mention what the total amount is. The total amount is less than Rs. 100. Apart from that, it is also pending. These are the two issues which she has stated as pending. She has said nothing more than that. On the Talwar Committee report also the Minister is so evasive. The intention of the Government is very clear. As Mr. Gurudas Das Gupta has rightly put, the intention of the Government is to make the employees surrender and come before the Minister on their knees. That is the attempt. This statement is taking us nowhere. The Minister has not come with any specific proposal or with any specific understanding. It is not stated in the statement what she has done. I would like to know from the hon. Minister what steps she has taken so far. I don't want to hear what had been done in 1996. We all know what happened in 1996. We all know what happened in 1997. She has made a lip service showing sympathy. We have got a beautiful English word "sympathy". Of course, enough sympathy has been shown for the workers by every Government every time. It is not a strike which they are doing for the sake of a strike. It is because that the issue is pending. Moreover, I would like to know from the hon. Minister whether she considers them as industrial workers. I believe that they are not industrial workers. Then how can she spell out that they will attract the provisions of the ID Act? I don't know who briefed the Minister on this point. Are these people covered or controlled by the ID Act? Then every Government employee is covered by the ID Act.

There is one more point. An issue of provident fund has been raised. There is a novel scheme of provident fund or pension scheme. The Government may

not be able to give pension to the industrial workers. If the Minister thinks that they are industrial workers. I have no objection. You can give them the provident fund and put them under the pension scheme. When you are putting certain issues before the parliament and saying that the striking employees will attract the provisions of the ID Act, there must be some *locus standi*. I believe the Minister has been misled on this point.

I want to make one more point. The hon. Minister says that on her appeal the Bharatiya Postal Employees' Union has withdrawn or not associated with the strike. Today a major newspaper reported that they have also joined the stike. I don't know who is right and who is wrong. But it has been reported in the Press today. I believe it is reported in *The Hindustan Times*. It is reported that they have also joined the strike. It means that the entire employees are standing together on their demands. What are the demands? They can also be sorted out. I am only appealing to the Minister that instead of standing on prestige, you should look into the ED employees' demands and they should be considered. The workload on ED workers has increased. Whatever you want ot do, you do that. How much is the workload on ED employees? It needs to be examined. Last time also I raised this issue in the House. I have been associated with their organisation for quite a long time. The ED employees work for more than eight hours. I can prove it. They want the last grade. Their demand is only the last grade. The issue of last grade with regular payment should be considered. The Talwar Committee went into this issue in detail. I don't want to go into the details. Sir, 3.7 lakh employees are working like slaves. As I said earlier, they are not retired teachers or they are not retired employees. They are young people. More than 60 per cent of them are Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have studied up to 10th class. They are very poor. They come from a very poor strata of the society. Why do you want to deny them minimum salary? The ED employees come from the lower strata of the society. There is a direction from the Government of India that the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates should be given priority. I am only making an appeal. I would like to repeat my appeal. I would like to appeal to the Minister not to stand prestige. I know the Minister. Sometimes, she is very good. Sometimes, there is an expression of arrogance. I hope she will not show that kind of temperament. We will definitely put pressure on the employees. Our influence should be used. We can ask them, "Please come to the table and discuss this issue." I am assure the hon. Minister. I know them. They are not standing on prestige. They are ready for a give-and-take policy. If the employees are ready for a give-and-take policy, why can't you do that? The Minister has not mentioned in the statement about what she has done or what she is going to do. Sir, my appeal to the Minister is, "Please come to the table have negotiations with them, settle the issue and save the nation from this ordeal."

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (TAMIL NADU): Sir, I thank the Minister for having complied with our request to make a statement. After having gone through the statement, I find that it is a vague statement. In this statement there is no mention of the important issues which we had raised. The important issue is departmentalisation of ED workers. Out of 6 lakh workers, 3,20,000 are ED workers. The whole House demanded that there should be departmentalisation of ED workers. We don't find anything in the statement about departmentalisation. We know that stike is not the first weapon. Strike is the last weapon ever used by workers. They have been dragged to that extent. The agony particularly in Tamil Nadu is students are

applying for admissions. Admissions are going on. Students are unable to get any reply from colleges and universtities. The Chief Minister of Tamil Nadu also sent a message that this issue may be settled amicably. The Minister has not mentioned any thing about what action the Government has taken. She has simply said that they had talks with the workers and have come to some conclusion. Except salary upgradation, there is no specific refcrence to any other demand. She has simply mentioned the demands made by the labour union. When I raised this issue three days before the stikes, I clearly requested the Government to agree to the departmentalisation of ED workers on pro rata abasis where ever they work for less than 8 hours. Where they work for 8 hours, then there should be full salary. Even they don't put the word 'leave' against them. If any ED worker wants to go on leave, the officials write against his name that he is off the duty. They don't want to put the word 'leave'. In case they put the word' 'leave', it would automatically mean that employees are permanent. That is why they have specifically instructed not to put as leave.

Actually the employees had submitted a memorandum listing out their various demands. But no information about the conclusion arrived at either by the Cabinet or by the Minister has been mentioned in this statement. Therefore, I would request the hon. Minister to mention what conclusion has been arrived at. In case a conclusion has been arrived at, I would like to know whether any note has been sent to the Cabinet for its consideration and when the Government is expecting a response from it. Also, there is no mention in the statement regarding any concrete actjon taken by the Government so far. Regarding gratuity and other things, I demand that gratuity should be accepted by the Government. And it should not be given as a special allowance or in some other nomenclature. I would also request the hon. Minister once again to see to it that the E.D. staff are departmentalised.

Thank you, Sir.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, thank you for giving me an opportunity to seek clarifications on the statement regarding postal strike. This strike is not an illegal one as they had given proper notice to the Government and they had given enough time for the Government to consider their demands. Eversince, the Minister has been saying that they are ready to negotiate with the postal employees. Now after more than five days of their strike, the entire Postal Department has collapsed. As far as our State is concerned, the Institute of Chartered Accountants is conducting an examination on 27th of this month. A number of students who have applied for this examination are yet to get their hall-tickets. And they are worried. So, I request the Minister to settle this matter immediately. My point is that the E.D. employees are from the very lowest level of the society and they mostly come from villages. And they all belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In para 2 of the statement, the Minister has said: "In respect of E.D. agents also, the Government had earlier issued orders on 12th November, 1997, to enhance the fixed basic monthly allowance by 3.25 times with effect from 1.1.96 pending consideration of the recommendations of Justice Talwar Committee." I would like to know from the hon. Minister how much money has been set apart for the E.D. employes. Normally, in all villages, employees have provided space for post offices in their own houses. Their salary is very poor and they are not able to meet even their basic needs. So, first of all, I would request the hon. Minister to settle the matter amicably. Secondly, when more than 75 per cent of the staff are employed as E.D.s, I request the Minister to take necessary action immediately so that they put an end to their strike.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): सभापति महोदय, बातें बहुत की गई हैं, इसलिए मंत्री जी से मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं बल्कि दो-चार प्वायंटेड बातें ही पूछना चाहती हूं। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि फूलप्रूफ कंटिनजेंसी प्लान इन्होंने बना लिया है ताकि आम लोगों को कठिनाई नहीं हो आम जनता को कठिनाई नहीं हो और डाक विभाग ठीक ढंग से काम करे। मैं यह जानना चाहती हूं कि वह बताएं कि इनका यह कंटिनजेंसी प्लान क्या है? क्या इसका मतलब है कि इन्होंने स्ट्राइक को तोड़ने के लिए बूटलेगर्ज का एंप्लायमेंट शुरू कर दिया, स्ट्राइक ब्रेकर्स का एंप्लायमेंट शुरू कर दिया है? मैं उनको कॉशन करना चाहती हूं कि यह धंधा नहीं करें, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 1974 में रेल स्ट्राइक जब हुई थी, इनकी जो 18 पार्टी की सरकार है वह भानुमति के कुनबा से भी उछल कर गिर रही है, तो उस समय तो एक बहुमत की सरकार थी...(व्यवधान) और उस समय जब 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुई थी तब एक शक्तिशाली सरकार थी, लेकिन हड़ताल रेल की जो हुई उसको तोड़ने की कोशिश की गई। उसका नतीजा हुआ कि 1977 में उस दल की सरकार का नामो-निशान नहीं रहा। आपका कल क्या होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप सहानुभूतिपूर्वक लोगों से बात करें। यह तीन लाख बीस हजार ई०डी० इम्पलाइज़ का मसला है, इनके मसले को हल करें और अन्य जो मसले हैं यूनियन के साथ बैठ कर शान्ति से, स्थिर दिमाग से बात करें तो यह मामला हल हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जो हल न हो। अगर इच्छा शक्ति हो तो हर मसले का हल निकाला जा सकता है दैट टू सिटिंग एक्रास दॉ टेबल। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप कितने दिनों के अन्दर सिटिंग एक्रास दॉ टेबल, आपस में बैठ कर लोगों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे? हड़ताल तोड़ने वालों को बुला कर के कंटेनजेंसी प्लान बनाने वाली बात न करें। धन्यवाद।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसे कि अभी गुरुदास दासगुप्त जी ने बताया कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अनुसार भी पोस्टल इम्पलाइज़ को वेजेज़ नहीं दी जाती है, क्या यह सच है, हकीकत है? यदि यह हकीकत है तो यह कब से चलता आ रहा है? किस-किस की राज था, कौन-कौन काम कर रहे थे, कौन-कौन मंत्री काम कर रहे थे जिन्होंने इस विषय पर कोई निर्णय नहीं किया? यह समझने की आवश्यकता है। यदि यह विषय उठा है तो सब लोगों सब सम्मानित सदस्यों को इस विषय पर जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके पहले भी इन्हीं कारणों के लिए क्या कभी स्ट्राइक हुई थी, यदि हुई थी तो उस समय क्या निर्णय लिये गये थे या कुछ एग्रीमेंट हुए थे? इसके बारे में भी हमें जानकारी दी जाए तो अच्छा रहेगा। एक और बात मैं जानना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में जगह-जगह पर पोस्ट आफिसेज़ हैं जिनकी कंडीशन बहुत खराब है। पोस्टमैन की वर्किंग कंडीशंस भी उससे ज्यादा खराब है। उनको जो अत्यावश्यक सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। क्या इस विषय पर आप कुछ निर्णय लेने वाले हैं और इस विषय पर आपकी क्या प्लानिंग है? धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो हड़ताल चल रही है लगभग छठे दिन में प्रवेश कर गई है, इसके कारण अब तक कितनी क्षति सरकार को हो चुकी है और समाज को कितनी क्षति हो चुकी है? मुख्य बात यह है कि इस पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिये जो समस्या को और बढ़ा दे। सरकार से आशा की जाती है कि वह कर्मचारियों की मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी लेकिन कुछ ऐसे भाषण हुए जिनसे ऐसा लगता है कि अब इसमें राजनीति प्रवेश करती चली जा रही है। यह जो हड़ताल हुई, इसके पीछे कोई राजनीति प्रेरित रही हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूं लेकिन भाषणों से ऐसा लगता है कि अब उस पर राजनीति की जा रही है। जिस प्रकार से दम्भ के आरोप और अहंकार के आरोप मंत्री पर लगाए गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बात केवल इतनी है कि जो कानून देश में चाहे वह न्यूनतम वेतन संबंधी हो या प्रोविडेंट फंड संबंधी हो या ग्रेच्युटी संबंधी हों, वे सब इन डाक कर्मचारियों पर लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से लागू होने चाहियें। जहां तक तलवार कमेटी की सिफारिशें हैं उन पर मंत्री जी ने वक्तव्य में स्पष्टता की है लेकिन पूरी बात सामने नहीं आ पाई और बात तब सामने आती मंत्री जी यह कहतीं कि इस कमेटी की सिफारिशें मान लेंगी। बोनस फार्मूले के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है, ऐसा बताया गया लेकिन यह कब तक पूरा हो जाएगा अगर यह घोषणा हो जाती तो कर्मचारियों की बहुत सारी गर्मी समाप्त हो सकती थी। असल में होता यह है कि नौकरशाही के माध्यम से जब समस्याएं सुलझाई जाती है तो समस्याएं बढ़ जाती है। मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी स्वयं इस मामले को लें। वे स्वयं उदार हैं, इन से

समस्याएं सुलझेंगी। जहां तक सरकार की बात है यह सदैव कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है, लिया है और आगे भी लेगी।

यह जो समस्या आज उत्पन्न हुई है, यह सरकार ने उत्पन्न नहीं की बल्कि यह समस्या बहुत पुरानी चली आ रही है। आज तो यह एक लावा फूटा है, यह एक ज्वालामुखी फूटा है। इसके लिए सरकार की नीतियों को दोषी ठहराना उचित नहीं है, लेकिन जब ज्वालामुखी फूटा ही है तो इस समस्या को सुधारना होगा, सुलझाना होगा, जिसको सुलझाया जा सकता है। इसके लिए अब आवश्यक हो चुका है कि इसको अधिक तूल न दिया जाए और स्वयं मंत्री महोदया इस विषय में हस्तक्षेप कर समस्या को सुलझाएं।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa) Sir, one minute please. *(interruptions)*

Mr. CHAIRMAN: Then I have to give time to everybody. There are ten more people. *(Interruptions)* No. *(interruptions)* One is permitted from every party. *(interruptions)* Mr. Fernandes, I havae to give you time, I agree with you.

SHRI NILOTPAL BASU: We had decided in the morning that the individual rights of the Members would be protected. If that is not there, I would have withdrawn my name and Mr. Balanandan would have put questions. He is the senior most leader. *(interruptions)*

MR. CHAIRMAN: I wish you had.

SHRI NILOTPAL BASU: We did not expect this. *(interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन होगा कि बालानन्दन जी बोलना चाहते हैं या जान फर्नांडिस बोलना चाहते हैं तो आप इन्हें बोलने दीजिए। अच्छा होगा कि मैं सबकी बातों का जवाब दूं। मैं नहीं चाहती कि सदन में कोई यह कहे कि मेरा प्रश्न रह गया, मैं पूछना चाहता था, मेरे क्वैश्चन का आन्सर रह गया। आप बोलने दीजिए।

श्री सभापति: अच्छा ठीक है, चलिए।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): सभापति जी, सुबह यह तय हुआ था कि मेम्बर का पार्टी के हिसाब से न हो, लेकिन यह भी तय हुआ था कि एक मिनट में या बहुत थोड़े में क्लेरीफिकेशन सदस्य पूछेंगे। यह तो तय नहीं हुआ था कि पन्द्रह पन्द्रह मिनट बोलेंगे सदस्य।

श्रीमती सुषमा स्वराज: बोलने दीजिए, आधा घंटा भी बोलें तो। इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। इनकी पूरी तसल्ली होने दीजिए।

SHRI JOHN F. FERNANDES: Thank you, Mr. Chairman. I thank the hon. Minister also for yielding. Sir, in para 1 of the statement, the hon. Minister has mentioned about a ten-point charter of demands. There are recommendations of two committees, Justice Talwar Committee recommendations and subsequently, the recommendations of the Fifth Pay Commission. May I know from the hon. Minister whether this ten-point charter of demands includes recommendations of both the Committees, Justice Talwar Committee and the Fifth Pay Commission. Are they overlapping? Are double benefits given to postal employees because there are two reports?

Whenever there are strikes by the Government agencies, the beneficiery is the private sector. We have private courier services in the country which are not controlled by an Act of Parliament. There will, always, be a tendency of black-marketing. They will charge exorbitant charges for the services. I want to know whether the Government has put any social obligation on them as we have put on the private airlines when it was introduced into this country. There was clause of social obligation. Whenever there is a strike by one sector, the other sector would come to play the social obligation. I want to know whether this element is inculcated into and whether there is black marketing by the private parties. Would the Government control this private courier service? I do not want to say that this strike has been induced by them to improve their business. It was done in 90's when Indian Airlines went on a strike for almost three months. The beneficiaries were the private airlines. The may prosper when the strike goes on but the country suffers.

The Minister also mentioned about the three unions, Bharatiya Postal Employees Union, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Association, All India Association of Postal Services. The Minister has also mentioned that they have made a contingency plan. What is the percentage of the skeletal postal services carried out by the Government. She has not spelt out on the contingency plan and the percentage of services when is given to the delivery of capital market papers because the market will collapse otherwise. Pensioners get their remittances through post offices and it will be difficult for them. Is priority given by the Government to see that this service is maintained without any interruption?

Finally, the Minister has mentioned about private agencies' use in the operation. What are the private agencies? Which are the private agencies used by the Government? Is this permissible under the law to handle Government documents, to handle postal documents? Let us know whether private agencies are used, whether political or otherwise. Let the Government clarify on these.

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, the last portion of the statement made by the Minister says that she has made all arrangements to run the postal services, etc. That is the step taken. She does not say that she will take steps to negotiate and find out a solution to the issue. Instead she has requested the employees to go back to their work. I do not want to comment on that. I think the Minister by now has gone through the details of the Department and the history of the issue, etc. I must, first of all, bring to the notice of the Minister that a judicial pronouncement has been made by the Supreme Court of India that the members of the Extra-Departmental staff are holding civil posts. So, there is no need for anybody to discuss this. The Supreme Court of India has said that they are holding civil posts. Madam Minister, then we have no option. the Supreme Court of India has said that these people are civil employees. This is the first thing. The second thing is that the Minister might be knowing that the Talwar Commission is a judicial commission and it has made very judicious observations which are also required to be noted. The Commission termed that the ED employees are weak and downtrodden and need protection. This is not an observation made by a trade union leader or a politician. This is an observation made by a judge who was appointed to go into the problems of these people. Sir, this has been done. This is the second thing. The third thing is that, Sir, with your permission, I would like to quote an agreement which was arrived at between the employees and the Government then. There was a conference of the trade union leaders, including the leaders of the BJP trade union, and mr. P. Bhagwandas, Member (Development) of the Postal Department, was also there. With your permission, I would quote a small portion of that agreement. "The staff side made a categorical demand that the Order No. 26, 1.4.97/PEC/E.D. Cell dated 12.11.97 issued by the Department regarding the payment of fixed monthly allowance to Extra-Departmental Agents on 1.1.96, by multiplying the same by factor of 3.25, should be kept in abeyance pending the decision of the Government and the Department of Posts on the proposals on the subject of the implementation of the recommendations of the Talwar Commission Report for postal Extra-Departmental Agents."

So, the proposal made by the Government was stayed by this agreement. It was also assured that the recommendations with regard to ED postal staff will be implemented. An assurance was given that all out efforts will be made to expedite the Government decision on the proposals already submitted by the Department. So, Madam Minister, nothing needs to be discussed. This recommendation has gone to the Government. It is before the Government and the Department assures that it will be done at the

quickest possible time. This is a contract signed between the workers and the management. Therefore, you are representing the management. There is no need for any discussion. No discussion is required on this. All such things are over now. First the Talwar Commission gave its report and the Department has gone into this question and discussed it with the trade unions. An understanding has been arrived at. The only request made by the Department was that some more time is required. That is all. As I told you earlier, a conference was held in November 1997. It is true that they have waited. Sir, as I told you, according to a judge they are the most downtrodden.

1.00 P.M.

They are making a request and the Government offered that we will do it immediately. Then, you are saying in the statement that I have made arrangements to run post offices. Is it correct? Sir, six lakh employees are on strike and out of which 3.5 lakhs are E.D. staff. The E.D. issue is nothing to be discussed at all. The Supreme Court had said that they are civil servants. We respect the decision of the Supreme Court when the Supreme Court has said, these six lakh people are to be treated as civil servants. Therefore, the Talwar Committee has said that they must be treated first as rural postal employees and also they should be brought under civil servants as per Article 309 of the Constitution. This is one of the recommendations. Can anybody have any dispute on this question? Is there anything to be discussed about it? When the Supreme Court said in this way.....

MR. CHAIRMAN: Mr. Balanandan, one minute. Now, it is 1 o' clock. We will continue till it is finished. It is 1 o' clock, So, I am taking the permission of the House that we will continue till it is finished.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, the point I am saying is, the issue I am raising is not a dispute of an ordinary thing. I am sorry the hon. Minister finds some politics in it. I am very sorry because I have some respect, to be frank, for her efficiency. In the statement she has said that some politics is involved. What politics; The poorest of the poor wanted to live and that too with a minimum recommendation. Is it politics? No politics. In the country, if one demands for wages, does it become politics? In democratic India if people go on strike does it become some extraneous thing which the Government is worrying for? Why? If Tata makes a demand, the Government will go to them and discuss it at their house. And, if the six lakh workers make a demand, you are saying that the strike should be withdrawn. Why? It is not befitting of the democratic system of the country and the democratic Government. Therefore, I do not want to dilate upon the other issue.

One more point agreed to was about the Group 'D' staff. In regard to Demand No. 2 which is pertaining to Group 'D' staff, it was stated that the department has already taken up the issue with the Government for not treating Group 'D' staff of the Department with the Group 'D' Staff of other departments. Who said this? The Department has said, not Balanandan or the union. The matter will be pursued further. The staff side further wanted that the Group 'D' staff on the postal side be re-designated as mail attendants, etc. I know, one thing you have done. My point is, the question you are handling is a question of civil amenities to the nation. We are a big nation. The Postal Department serves the whole people. Can you handle this? You are saying that you find some politics in this and if it is so, can you easily sit here like a Minister? It is wrong. I must say that it is wrong. The question is, the postal service is the minimum requirement of the people. I wanted to send a letter, I wanted to send a money order, etc. the whole life is upset. That is not taken seriously by the Government. I do not want to ask any big questions but what I request the hon. Minister is, please, you go through this. I know about your department people. I do not want to say anything about

the bureaucracy. If I become a Minister, immediately they come and fall in line with me. And, if some other person becomes a Minister in my place, immediately they change their attitude and they deceive and misguide the people. Hence, I request the hon. Minister concerned not to be misguided by those people who wanted to misguide you. They are not guiding you. The point I am saying is, this question is a question affecting the nation. This is a simple issue raised by the workers and supported by the Supreme Court, supported by the Talwar Committee and supported by everbody on earth. How can you oppose it? So, please negotiate with them and come to some understanding and solve it.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Sir after going through the statement of the Minister, it is quite evident that the Miniser has not made any earnest attempt to bring about a settlement regarding the legitimate demand of the workers. Instead of that, what she has been insisting is that the workers should not have resolved to a strike action, and when they have started a strike, they should withdraw the strike. And that should be done on the basis of the assurance given by the officials, especially by the Minister. You see, in the matter of issues which have been pending for a long time and about source of which the Supreme Court had expressed its views and on certain issues the other commissions had given certain recommendations, why should the Government take an approach like this? If this situation I am afraid why should the Minister adopt such an adamant attitude? Why cannot you have negotiations with the workers, even while they are on strike?

I remember a case when workers were on strike. A very powerful Chief Minister convened a meeting and made a request to a trade union leader like me, "All right, you have started the strike, but I request you to suspend it for ten days. In the meanwhile, I will try to bring about a settlement." And we agreed to that. Why don't you adopt such an attitude? We are living in a democratic country. Is it the attitude of the Government that the workers shall not resort to strike and if the workers resort to strike, is it the policy of the Government that the workers will be divided and the strange will be suppressed and the movement will be suppressed? If that is the the attitude of the Government, then I really sympathise with the Government that, that is not going to work. It may only worsen the situation. Therefore, my request is that the Minister should instead of making it a prestige issue, call representatives of the postal employees and have a talk with them and settle those issues. These are all simple issues. Why can't you settle them right away? Please do it. That is the request I have to make, Sir.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, about six lakh villages have been affected by the strike. Service have been paralysed.

Sir, so far as the Minister is concerned, at the very outset I would like to submit that she is a meticulous and a very able Minister. I must congratulate her. But, at the same time, a Minister should not stand on a prestige issue. The very same Minister had supported this cause in the year 1993. Now, she has got an opportunity. She is dealing with people who are living below the poverty line. These three-and-a-half lakh people belong to the weaker sections of the society. Most of them are Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They are appealing to the Government saying, "We have been struggling for years. We have gone to the Supreme Court, and we have exhausted all other forums. Please don't be anti-labour. Please help us." This is the attitude adopted by these employees. After all, who are they? They are group 'D' employees. These employees have been struggling for years, and now an opportunity has come. Sir, opportunity does not come always. I was a Minister for

eight years in the Central Government. I was in the Finance Ministry for six years and a month continuously. That is a record. I can understand your problem with the Finance Ministry. But, go to them and talk. It is a part of the Government. Your bureaucrats will not help you. This opportunity will not come to you again. As a big sister, you look after your brothers and sisters who are living below the poverty line. Don't ...*(interruption)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: When the BJP was in Opposition in 1993, they themselves actually and walked out on this issue.

SHRI JANARDHANA POOJARY: So now, you have got the opportunity. Act as a big sister. Your brothers and sisters are suffering. Now, this opportunity has come to you. It will never come to you once again. It may not come. It has been our experience also. *(interruption)*. I tell you, I did not become Minister after that. That opportunity did not come to me. That is what I am saying. *(interruption)*. It is all right. I pray that she should continue as Minister. But, that does not mean that he should not look after the plight of these weaker sections. I am saying, 'don't stand on prestige.' Do whatever is within your reach and then call them. Let us say, 'go on'. What is there if it goes on for a day or two. Government is a big organisation. Talk to your colleagues. Whoever they may be, community officers, or bureaucrats, they will not help you unless you direct them. I assure you that for this political will is required. Unless you have got the political will and also the will to help the weaker sections, that cannot be done. So, in these circumstances, I am appealing to you, have boldness, have courage and then do things. You will be known for your actions, you will not be known for your inaction. The opportunity has come to you, take advantage of it and do the needful.

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद सभापति जी, मेरे इस वक्तव्य पर कुल जमा 12 माननीय सदस्यों ने क्लैरीफिकेशंस पूछे हैं। कल भी जिन माननीय सदस्यों ने वक्तव्य यहां पर रखे थे, उनमें से भी लगभग पांच ने पुनः अपनी बात यहां रखी है और कमोवेश अपनी बात को दोहराया है। पहले मैं कुछ जनरल बातों का जवाब देना चाहूंगी जिनको 5-7 सदस्यों ने कहा है। उसके बाद कुछ तथ्य क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सामने रखना चाहूंगी और फिर एक-एक करके व्यक्ति ने जो बात कही है, उसमें से जिन बिन्दुओं पर मुझसे उत्तरों की अपेक्षा की गयी है उनके उत्तर देना चाहूंगी। सभापति जी, जहां यह बात गुरूदास जी ने कल शुरू कर दी थी कि मिनिस्टर इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। आज अभी चितरंजन जी ने, पुजारी जी ने बहुत वेदना से कहा कि मिनिस्टर फॉल्स प्रैस्टीज पर खड़ी न रहें, स्वयं बात करें। यहां तक की मेरी तरफ के बैंचों से भी नरेन्द्र जी ने कहा कि मंत्री स्वयं बात नहीं कर रहे हैं। कल तो बार-बार गुरूदास जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर यह मसला वह न छोड़ें, नौकरशाही इसे सुलझा नहीं सकती। तो मैं अपने माननीय संसद सदस्यों के लिए बताना चाहती हूं कि एक बार नहीं, दो बार, एक बार स्ट्राइक से पहले, दुबारा स्ट्राइक शुरू होने के ही दिन बात मेरे स्तर पर हुई थी। मैंने स्वयं बुलाकर बात की है और मैं और बता दूं यह स्ट्राइक न हो, इसके लिए केवल यूनियन लीडर से ही नहीं, वामपंथी नेताओं से भी बात की है। बालानन्दन जी यहां बैठे हैं, उनको फोन करके तलाशा। वह मुम्बई में थे। नहीं मिले तो प्रकाश कारत से बात हुई और कहा कि मैं इस मसले को सुलझा रही हूं, इनको कह दो कि स्ट्राइक पर न जाएं। लेकिन स्ट्राइक हुई। इसलिए पहले तो मैं यह बता दूं कि जब स्ट्राइक का नोटिस दिया गया। 26 तारीख को मैंने उन्हें बुलाया, सारी की सारी यूनियन्स को—कमला जी यहां बैठी हैं, पहले यह भी बता दूं क्योंकि आपने कल एक और बात कही कि मैंने यह सुना है कि आप यूनियन्स को तोड़ रही हैं। एक यूनियन को बुलाकर बात कर रही हैं, बाकी यूनियन्स को नहीं बुला रही हैं। अगर सुना था तो मुझसे पूछ लिया होता कि सच्चाई क्या है? पूरे सदन में खड़े होकर आधा भाषण तो आपने केवल इसी बात पर दिया कि मैंने यूनियन्स को तोड़ने की बात की है। सभापति जी, मैं सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूं कि एक बार भी मैंने बी०एम०एस० की यूनियन्स को नहीं बुलाया है। जिन यूनियन्स की तरफ से स्ट्राइक का नोटिस था, तमाम की तमाम यूनियन्स को बुलाया और एक साथ बुलाया। दोनों बार नौ यूनियन्स इकट्ठी आयीं। क्या मेरा आपका संवाद इतना भी नहीं हो सकता था कि यहां बात कहने से पहले आप अपने तथ्य कम से कम मुझसे चैक कर लें? 26 तारीख को बुलाकर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा स्ट्राइक का नोटिस कहीं नहीं है। मैंने जब 21 तारीख को

टेक ओवर किया, अधिकारियों की बैठक ली, उसी समय अपने कमरे में आकर मैंने पूछा की कौन-कौन से ईशूज़ ऐसे हैं।.....जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, जिनको मुझे इमिडिएटली एड्रैस करना है। दो बातें मेरे सामने लाई गई, एक पोस्टमैन का मसला और एक ईडी का मसला। पोस्टमैन के मसले के बारे में मैं बता दूं कि वह क्या मसला था। पोस्टमैन का मसला था कि सेकेन्ड पे-कमीशन से फिफ्थ पे-कमीशन तक पोस्टमैन मेलगार्ड की पैरिटी सेन्ट्रल पुलिस आर्गेनाइजेशन के कांस्टेबल के साथ चली आ रही थी। फिफ्थ-पे-कमीशन ने भी उसे बनाए रखा। लेकिन युनाटेड फ्रन्ट गवर्नमेंट ने कासियस डिसिजन लेकर केबनेट की पैरीटी को डिस्टर्ब किया। सेन्ट्रल पुलिस आर्गेनाइजेशन के, कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस के बराबर लाने के लिए हाई ग्रेड दे दिया और पोस्टमैन को नीचे रखा। पोस्टमैन उसी दिन से संघर्ष कर रहा है कि मेरी ये पेरिटी बहाल करो और युनाटेड फ्रन्ट की गवर्नमेंट ने जवाब दिया था "दिस इज अवर कानसियस डिसिजन"। हमने जानबूझकर सोचसमझकर यह फैसला किया है। इसलिए यह पेरिटी बहाल नहीं की जायेगी। यह मसला केबिनेट से रिजेक्ट हुआ था, यह मसला ग्रुप आफ सैक्रेटेरीज से रिजेक्ट हुआ था। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि एक तो यह मसला पेंडिंग है, हम चाहेंगे कि अगर आप इसे सुलझा सकें तो हमारे पोस्टमैन और मेलगार्ड की एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी।

दूसरी बात उन्होंने कही कि ईडी कर्मचारियों का मसला बहुत दिनों से पेंडिंग है। मैंने कहा कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इन समस्याओं को परसनली जानती हूं। मैं इसी डाकभवन के नीचे ईडी कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठी थी। इसलिए मुझे मालूम है कि उनकी समस्याएं क्या हैं, तलवार कमेटी कैसे गठित हुई थी, बाकी समस्याएं क्या हैं, तमाम चीजें मुझे मालूम हैं। उन्होंने कहा कि आप इस मसले को हल कर दें तो मैंने कहा ठीक है। 21 अप्रैल को मेरे एडिशनल चार्ज को नोटिफिकेशन हुआ था और 21 अप्रैल को मैंने ये दोनों मसले अपने हाथ में ले लिये थे। स्ट्राइक का नोटिस कहीं नहीं था। कोई इम्पलाइज आकर मुझसे नहीं मिला था। उस दिन से इस मसले को हल करने के लिए जो भी फार्मलिटीज, औपचारिकताएं अधिकारियों के स्तर पर होनी थी, मैं उनको करने में लगी थी। 26 तारीख को मैंने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, जो चार्टर आफ डिमान्ड्स तुमने दिया है, इसमें दस मांगें है। जॉन साहब, आपका भी जवाब इसमें आ रहा है और अलग से मैं आपको इसका जवाब दूंगी। ईडी का मसला इसमें केवल एक है और मैं यह भी कह दूं कि यहां जितने सदस्य बोले हैं केवल ईडी पर ही बोले हैं। लेकिन ईडी डिमान्ड केवल एक है। जो चार्टर आफ डिमान्ड्स हैं, वे सात डिमान्ड्स फिफ्थ पे-कमीशन से संबंधित हैं। तीन डिमान्ड्स में एक ईडी का मसला, एक पोस्टमैन का मसला, जिसके बारे में मैंने अभी बात कही है और बोनस का मसला है।मैंने उनसे कहा कि इन दस चार्टर आफ डिमान्ड्स में से जो फिफ्थ पे-कमीशन से संबंधित हैं, अनोमली कमेटी इसका फैसला कर सकती है। डिपार्टमेंट अपना व्यू आपके पक्ष में रखेगा। लेकिन आपकी तीन डिमान्ड्स में से अभी तक दो मेरे पास थी बोनस वाली, वह आपके चार्टर में से आई। उस पर भी मैंने बात कर ली है। इसको भी मैं जायज मांग मानती हूं और इन तीनों के समाधान की दिशा में मुझे बढ़ने दिया जाए। स्ट्राइक की बात मत करिए क्योंकि हड़ताल हमेशा व्यवधान डालती है। वे मुझसे बात करके चले गए। पोस्टमैन वाला मसला मैं कैबिनेट में ले गई और मैं फिर कहना चाहती हूं कि युनाइटड फ्रन्ट की गवर्नमेंट से रिजेक्टिड मसला ग्रुप आफ सैक्रेटरीज से रिजेक्टिव मसला में कैबिनेट से एप्रूव कराकर लाई। उस दिन मैंने फिर अपील की जो तीन चीजें आपकी हैं और जिसमें पेरिटी जो टिस्टर्ब हुई थी, इस सरकार ने आकर उसे बहाल की और पोस्टमैन को वही ग्रेड दिया, जो सीपीओज कांस्टेबल और डीपीओज को मिला। यानी जो दिल्ली पुलिस को बढ़ा हुआ स्केल था वह हमने डाकिये को दे दिया, मेलगार्ड को दे दिया, फिर मैंने अपील की कि तीन बातों में से एक को पूरा करके भी मैंने दिखा दिया अब तो मेरी विश्वसनीयता पर भरोसा करो। अगली दो बातें भी मैं कर रही हूं और इन दोनों के लिए भी मैं कैबिनेट नोट तैयार कर रही हूं। इनको भी मैं कराकर लाऊंगी। यह मसला हल करने की दिशा में मुझे आगे बढ़ने दो। आप स्ट्राइक नोटिस वापस ले लो और स्ट्राइक पर मत जाओ। मुझे कोई जवाब अब तक नहीं आया। 9 तारीख को स्ट्राइक हो गई। 9 तारीख को ही तीन बजे मेरे चेम्बर में मीटिंग हुई और वही यूनियन्स आई, जिनके लिए आप कहती थी कि मैं बुलवाऊं, वे सारी यूनियन्स आई और मैंने उनसे कहा अब तो हड़ताल कर ली, चलो, एक दिन की सांकेतिक हड़ताल मान लो। लेकिन ये तीन मसले जो मैंने अपने हाथ में लिए हुए थे, एक कर दिया है, दो करवाने जा रही हूं, वातावरण विषाक्त मत करो।..... एटमोसफेयर सही रखो। आज एक दिन की हड़ताल भी हो गई। कह दो कि टोकन स्ट्राइक है। मुझ पर भरोसा रखो और मुझे मौका दो मैं अगली कैबिनेट के अंदर इन दोनों मसलों को ले जाऊंगी और इनका वहां से हल निकालकर ले आऊंगी। मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका दो। उन्होंने कहा कि अभी जाकर बताते हैं। सभापति महोदय, रात 10 बजे उनका

फैक्स आता है कि जब तक हमारी दसों की दसों मांगें टु दि फुल सेटिस्फैक्शन आफ अवर्स हल नहीं हो जाती हम स्ट्राइक काल आफ नहीं करेंगे। इसके बाद भी मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं फाल्स प्रेस्टिज पर खड़ी हूं। मुझे श्री नीलोत्पल बसू सेंसिटाइज करेंगे। गुरूदास दास गुप्त-सेंसटाइज करेंगे? सभापति महोदय, आप उस प्रकारण के साक्षी हैं। मेरा इतिहास मेरे सेंसटाइजेशन का परिचय अपने आप देता है। जब मैं हरियाणा में श्रम मंत्री थी, तो धारा 144 लगने पर मैं मंत्रालय छोड़कर बाहर आ गई और मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने खाली जुबानी जमा खर्च नहीं किया। श्रमिकों के लिए मैंने मंत्री पद की कुर्सी छोड़ी है। श्रमिकों से पूछिए, "एटक," से पूछिए, सिटू " से पूछिए। हरियाणा में इमरजेंसी के बाद का दौर तो आप जानते हैं। आप स्वयं इस प्रकार के साक्षी है। वहां पर धारा 144 लगाने पर मैंने श्रम मंत्रालय की कुर्सी छोड़ दी, मंत्री पद छोड़ दिया। 25 वर्ष की उम्र में मैं वहां मिनिस्टर बनी थी। उस उम्र में मैंने कुर्सी छोड़ी थी और आज भी 6 दिन से हड़ताल है, लेकिन सभापति महोदय, एक भी टरमिनेशन नहीं, एक सस्पेंशन नहीं, एक ट्रांसफर नहीं, एक भी गिरफ्तार नहीं। आखिर यह किसलिए? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अनकन्वेंशनल तरीके से स्ट्राइक को डील करना है और मुझे दमन का रास्ता नहीं अपनाना है। 9 तारीख को हड़ताल हुई। 10 तारीख को मैंने लोकसभा में अपील की कि वे तमाम वामपंथी साथी जिन्होंने आज इस हड़ताल को मॉरल सपोर्ट दिया है—चाहिए तो यह था कि आप लोग मेरी क्रेडिटिबिलिटी का हवाला उनको देते और कहते कि कल मिनिस्टर ने यह कहा है कि एक मसला उन्होंने हल कर दिया और दूसरे भी करने जा रहे हैं। आप उन पर भरोसा करिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन आप 10 तारीख को पोलिट ब्यूरो की मीटिंग करते हैं और कहते है कि हम हड़ताल को मॉरल सपोर्ट देते हैं। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि यह पोलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती हूं। नीलोत्पल बसु कहते हैं कि मैंने टी०वी०पर कहा। मैं टी०वी०पर नहीं, मैं संसद में खड़े होकर कहती हूं कि यह हड़ताल राजनीति से प्रेरित होकर की गई है। सभापति जी, आज तक हड़ताल इसलिए होती थी कि गवर्नमेंट नान-रिस्पांसिव होती थी लेकिन यह हड़ताल पहली बार इसलिए हुई है कि गवर्नमेंट मोर देन रिस्पांसिव है। .....(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is very unfortunate. .....(*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN; Let the Minister speak .....(*Interruptions*)....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We strongly deplore this.....(*Interruptions*)....

श्रीमती सुषमा स्वराज: सत्य कड़ुवा होता है। .....(व्यवधान).....

MR. CHAIRMAN: She has a right to speak .....(*Interruptions*)....

Please sit down. .....(*Interruptions*)....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let her not hold out a threat.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सत्य कड़ुवा होता है। .....(व्यवधान).....

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): You have been holding the nation to ransom. .....(*Interruptions*)....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: She must withdraw this word.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I will not withdraw this word. I will repeat this one. .....(*Interruptions*)....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We do not want to hear the Minister.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Then go and stage a walk out.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Just see. She is saying: You go. Who is she to say so? (*Interruptions*) Sir, as a protest we stage a walk out.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, they do not want to hear the Minister. They want to hold the whole nation to ransom. (*Interruptions*) Please, have patience to listen, though it may be unpleasant to you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir this is the manner in which this Government is behaving with the workers. While dealing with the postal employees, the Government should not make assertions like this. Sir, as a protest

against the attitude of the Government, we walk out of the House.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, बहुत असत्य आरोप मुझ पर लगाया। .....(व्यवधान).....

श्री नरेश यादव (बिहार): मंत्री जी का जो वक्तव्य आ रहा है वह राजनेता की तरह से है। (व्यवधान) इसलिए आर०जे०डी० भी सदन से वाक आऊट करता है।

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I am on a point of order. (*Interruptions*) When a Minister makes a statement, it is the Government's official statement. Naturally it is not like that of a Member. A member can say anything. Now, the Minister has made serious allegations against the political parties represented in this House. Her statement is that it is a politically motivated strike. Naturally, her statement has to be substantiated by facts.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I will do that.

आपने बोलने कहां दिया? .....(व्यवधान).....

SHRI VAYALAR RAVI: Let me complete. When the Minister makes a charge against political parties, naturally political motivation means that political parties are involved. So, when the Minister makes a charge, she is expected to substantiate her statement with facts. I would like to have a ruling from you on this, Sir.

MR. CHAIRMAN: She says she is giving facts.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: She is giving facts. You allow her to speak. On point of order, you just stand up.

SHRI VAYALAR RAVI: I would only request the hon. Chairman to please give a direction to the Minister on the basis of my point of order, She must substantiate the charge that she was making that the strike was politically motivated. That is all.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए यह प्रतिक्रिया कोई अस्वाभाविक नहीं है। .....(व्यवधान).....

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

†[اشری محمد اعظم خان: میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے۔]

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: कौन सा रूल है (व्यवधान) नियम कौन सा है? .....(व्यवधान).....

श्री मोहम्मद आज़म खान: सभापति महोदय, मैं भी श्रम मंत्री रहा हूं जैसे आप मंत्री है। शायद मेरी भी वही उम्र थी लेकिन मैंने कभी भी सदन में मज़दूरों के मामले को लेकर इस तरह से भावुक हो कर भाषण नहीं दिया और यही हमारा एतराज़ है। .....(व्यवधान)..... सदन की भावना यह है कि मजदूर यह चाहता है कि यह मसला हल हो जाए लेकिन जिस तरह का अड़ियल रुख आपने अख्तियार किया है, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन का बहिष्कार करता हूं (व्यवधान)

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये)

†[اشری محمد اعظم خان: سبھاپتی مہودے، میں بھی شرم منتری رہا ہوں جیسے آپ منتری ہیں۔ شاید میری بھی وہی عمر تھی لیکن میں نے کبھی بھی سدن میں مزدوروں کے معاملے کو لیکر اس طرح سے بھاؤک ہو کر بھاشن نہیں دیا اور یہی ہمارا اعتراض ہے ... مداخلت ... سدن کی بھاونا یہ ہے کہ مزدور یہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

حل ہو جائے ایکن جس طرح کا اڑیل
رخ آپ نے اختیار کیا ہے، میں
سماج وادی پارٹی کی طرف سے سدن
کا بہشکار کرتا ہوں ... مداخلت ...

श्री सभापति : अब आप बोलिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मैं अपने वामपंथी साथियों की प्रतिक्रिया से अचम्भित नहीं हुई। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि सच्चाई सुनने का मादा नहीं है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है कल 6 के 6 वक्तव्यों में और आज सारे के सारे आरोप मुझ पर असत्य लग रहे थे। मैं चुपचाप बैठी सुनती रही सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि जिस समय मेरी बारी आएगी में रिकार्ड स्ट्रेट कर दूंगी और बता दूंगी कि कहां कहां, किस किस तरह से मैंने इस स्ट्राइक को रोकने की कोशिश की। लेकिन लगातार, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि भावना में नहीं बोलना चाहिये, गुरूदास दासगुप्ता जी का तो सारा भाषण भावना से भरा हुआ था। तथ्य था उसमें एक भी **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: (उत्तर प्रदेश) एक भी क्वेश्चन नहीं था।

श्री सभापति : आप मत बोलिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कोई प्रश्न नहीं, जैसे यह सैंसेटाइज़ेशन रखते है लेबर के प्रति और मैं कनफ्रंटेशनिस्ट एप्रोच अपनाए हुए हूं, पूरे का पूरा भाषण इस चीज पर लोगों ने दिया। लगातार बौछार कर रहे है इस आरोप की कि मिनिस्टर इंटरवीन नहीं कर रही है, फाल्स प्रेस्टिज पर खड़ी है प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाए हुए हैं, एंटी लेबर है। यह कौन का तरीका है? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा, जब नीलोत्पल बसु जी कह रहे थे। अगर वह कहते है कि पोलिटिकिली मोटिवेटेड है, मैं एक अगला वाक्य भी कहे देती हूं कि बहुत सी हड़तालें होती है। जब सरकार रिस्पोंसिव नहीं होती तो वह हड़ताल समझ में भी आती है। मैं हड़ताल एज़ सच, हड़ताल पर-से की विरोधी नहीं हूं। यह हड़ताल हुई है क्योंकि गवर्नमेंट मोर देन रिस्पोंसिव थी। जब 26 को मैंने उन्हें बुला कर के बता दिया कि तीन चीज़ें में करने जा रही हूं। उसके बाद एक मैंने कर भी दी।

फिर अपील की कि यह जो भी करने जा रही हूं, भरोसा रखो। तो उन्हें लगा कि होने तो वाला ही है, क्यों नहीं हड़ताल करके कहो कि हमने दिलवायां। क्यों न यह कहो कि यह इन यूनियन्स के प्रेशर में किया है ताकि कल को अगर यूनियन्स का वेरीफिकेशन हो तो इनकी मेम्बरशिप बढ़ सके। यह ये कह सकें कि हमने दबाव में दिलवाया है। इसलिए इस हड़ताल का आह्वान अगले ही दिन सी॰पी॰आई॰ (एम) के पोलिट ब्यूरो द्वारा किया गया। जाहिर तौर पर किया गया है। मैं 8 तारीख को बात करती हूं प्रकाश कारत जी से कि मैं मसला हल करने जा रही हूं, हड़ताल पर मत जाओ। मैं बालानन्दन जी को बुलाकर कहती हूं कि मत जाओ हड़ताल पर, मैं मसला हल करने जा रही हूं। उसके बावजूद केवल हड़ताल होती है, बजाए हड़ताल को रोकने के। 10 तारीख को मैं लोक सभा में खड़ी होकर वासुदेव आचार्य और बाकी सबसे अपील करती हूं कि अपील करिए उन लोगों से कि हड़ताल वापस ले लें। वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाएं। मैं मसले को तो हल करने ही जा रही हूं। लेकिन, नहीं। हमने प्रेशर में दिलवाया—यह वन—अपमैनशिप की लड़ाई थी। यह क्रेडिट के लिए बात है! यूनियन्स की मेम्बरशिप बढ़े, ये चीजें लेकर इस हड़ताल को समर्थन दिया जा रहा है।

अभी गुरुदास जी कह रहे थे पता नहीं यह सरकार महीने दो महीने चलेगी। इनकी विशफलल थिंकिंग यह कहलवाती है। यह जो एक संकेत देना चाहते हैं कि सरकार कमजोर है, इस सरकार का गला दबाकर चाहे जो ले लो, हमने प्रेशर में दिलवाया—मैं यह संकेत नहीं जाने दूंगी। यह सरकार न कमजोर है न असहाय है। यह सरकार श्रमिकों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन इतना भी बताना चाहूंगी कि जिसे वे कन्फ्रंटेशनिस्ट एप्रोच कह रहे हैं वह कन्फ्रंटेशन नही है सभापति जी। किसी भी प्रशासन के लिए और प्रशासक के लिए संवेदना और दृढ़ता बराबर का महत्व रखती है। संवेदनशील स्वरूप से बात कर रही थी और कहा था इनसे कि यह मसला हल कर रही हूं। लेकिन आज कन्फ्रंटेशन नहीं है, यह दृढ़ता है और संवेदना तथा दृढ़ता के सिर पर प्रशासन चलता है सभापति जी, झुककर प्रशासन नहीं चलता है। प्रेशराइज होकर नहीं करूंगी, प्रेशर में नहीं करूंगी, दबाव में नहीं करूंगी।

दोनों चीजें कर रही थी। इन लोगों से भी बात कर ली थी। जहां तक बाकी मुद्दों का सवाल है वे वेतन आयोग से संबंधित बातें थीं। मैंने कहा था कि उनके ऊपर एनामलीज कमेटी में डिपार्टमेंट अपना व्यू रख देगा। लेकिन उसके बावजूद हड़ताल। हड़ताल को

समर्थन। इतनी बार मैंने इन लोगों से कहा कि तुम हड़ताल वापस कर डालो। मैं तो मसला हल करने जा रही हूं। नहीं ली। अब तो सुनने वाले बैठे नहीं हैं कि उनमें से एक-एक का जवाब दूं। लेकिन अगर आप चाहें तो जवाब दे दूं। जिस बात की ओर कहा जा रहा है.....(व्यवधान) जिस बात के लिए कहा जा रहा था...व्यवधान)

श्री सभापति: आप मत बोलिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अभी नीलोत्पल बसु यहां बोल रहे थे। दो साल टर्म्स आफ रेफेंस तलवार कमेटी के तय करने में लगा। अगर होते तो पूछती, उन दो सालों में सरकार किसकी थी। वायालार रवि बैठे हैं। आपकी सरकार थी ना। सुखराम जी मंत्री थे। दो साल लगे टर्म्स आफ रेफरेंस को तय होने में। तलवार कमेटी की सिफारिशें कब आई? अप्रैल 1997 में, और फैक्ट्स ऐसे हैं कि मुझे लगता था कि कामरेड जब बोलते हैं तो शायद होम वर्क करके बोलते हैं। मुझे नहीं पता था कि वे फैक्ट्स चेक करने की जरूरत ही नहीं समझते। कल कहा नीलोत्पल जी ने कि तीन साल पहले सिफारिश की है।

"Three years ago the Talwar Committee has given its recommendations."

तीन साल पहले तो गठन हुआ था इसका। सभापति जी, अप्रैल, 1997 में सिफारिशें आई। अप्रैल 1997 से नवम्बर 1997 तक सरकार किसकी थी? अगर सिफारिशें माननी जानी थीं तो मई में मानी जा सकती थीं। जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितम्बर में, अक्टूबर में, नवम्बर में मानी जा सकती थीं। मेरी सरकार आए तो जुम्मा-जुम्मा तीन महीने हुए हैं। दो साल टर्म्स आफ रेफरेंस तय होने में लगते हैं, तब कोई सरकार डाक में नहीं, कटघरे में नहीं? अप्रैल से नवम्बर तक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रहती है—सिफारिशों पर कोई बात नहीं होती। वह सरकार कटघरे में नहीं और मुझे तीन महीने भी नहीं हुए, मुझे खुद को तो 21 अप्रैल से दो, ढाई महीने हुए हैं और मैं पहले ही दिन, आई रिपोर्ट, बिल्कुल पहले दिन मसले का काग्रीजेंस ले लेती हैं, समाधान की दिशा में आगे बढ़ती हूं, कगार पर खड़ी हूं मसले को हल करने के और हड़ताल हो जाती है। यह जवाब है आपकी बात का।

SHRI VAYALAR RAVI: They have taken a decision in 1996.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: On 1.1.1996.

SHRI VAYALAR RAVI: It was in November, 1997.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अब नवम्बर 1997 में जो फैसला हो रहा था वह क्यों इन एबेयेंस रखा गया। क्या फैसला था? कि उनको एक फिकस्ड एलाउंस मल्टीप्लायड बाई ए फैक्टर आफ 3.25 दे दिया जाए। आज मुझ से सिविल एम्प्लोज स्टेटस मांग रहे हैं, आज मुझ से तलवार कमेटी की सिफारशों का पूरा कार्यान्वयन मांग रहे हैं, उस समय क्यों नहीं किया? क्यों कहा कि only by a factor of 3.25 fixed allowance दे दिया जाएगा। इसलिए सभापति जी, मैं कहना चाहती हूं कि सारी बातें बताती हैं कि यह हड़ताल पोलिटीकल मोटिवेटेड है। यह हड़ताल सरकार को कठघरे में खड़े करने के लिए की गई, जो सरकार कठघरे में खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह मसले का हल कर रही थी। मुझसे कहते हैं कि मैंने यह कहा कि बी॰पी॰ई॰एफ॰ इससे अलग है, एस॰सी॰ एस॰टी॰ अलग है। कल पोस्टल सुपरवाइजर्स ने वापस कर ली है। कहते हैं कि इसमें यह इशारा थोड़े ही है, यह तो सच्चाई है इट इज़ ए फैक्ट कि बी॰पी॰ई॰एफ॰ ने डिस्एसोसिएट कर लिया। एस॰सी॰एस॰टी॰ की परसेंटेज मांग रहे थे पीछे बैठे संघ प्रिय मुझे कह रहे थे कि यह 22.5 परसेंट, साढ़े बाइस फीसदी तो उन्हीं की सदस्य संख्या है। कल पोस्टल सुपरवाइजर्स ने अपने आपको डिस्एसोसिएट किया। इसको पूरे मीडिया में हम लोगों ने बोला, तो इशारा क्यों करूंगी। यह एक तथ्य है। क्या इसको इस सदन में भी नहीं रखना चाहिए कि यह तथ्य है। लोग हमारी बात पर भरोसा करके अपने आपको इससे अलग कर रहे हैं और वही चीज़ है कि जिस फ्रस्ट्रेशन में श्री गुरुदास दास गुप्त जी बोल रहे थे उसमें एम्प्लाई का दर्द नहीं था, उसमें एक वामपंथी नेता की फ्रस्ट्रेशन बोल रही थी। इसीलिए मुझे मालूम था कि अंत में यही होगा क्योंकि लोक सभा में भी यह हुआ। मेरे बोलने के बाद जब एक सवाल बचा नहीं पूछने के लिए तो बहिर्गमन कर गए। अब बहिर्गमन करना, वाक आउट करना संसदीय विधा है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी बात सुनते। मैं आज फिर अपील करूंगी कि मेरी बात सुन कर अगर यह कहा जाए कि मंत्री इस दिशा में बढ़ रही थीं, सरकार इस दिशा में बढ़ रही थी इसलिए हड़ताल करने की कोई जरुरत नहीं। चलो कर लिया तो 6 दिन भी हो गया, कर लिया, कम से कम हड़ताल वापस लो। उनको समाधान की दिशा में बढ़ने दो। क्या मैं नहीं चाहूंगी कि हम से संसद् सदस्य जो यहां मुझ से प्रश्न पूछ रहे हैं वे इस बात में सहयोग करें?

सभापति जी, रवि जी ने एक बात आई०डी० एक्ट की कि आई०डी० एक्ट कैसे लागू होता है। रवि जी मैं कहना चाहती हूं कि आप केवल ई०डी० पर बोले और आपको लगता है कि शायद ई० डी० ही एक समस्या है। ...व्यवधान)

SHRI VAYALAR RAVI: I confined myself to the aspect of E.D.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने आपसे कहा यह 10 डिमांड्ज का चार्टर है जिसमें ई०डी० केवल एक है। ...(व्यवधान) मैंने जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात की तो मैं पूरे चार्टर की बात करूंगी, मैं पीसमील जवाब थोड़े ही दूंगी। आप दस में से ई०डी० पर बोल रहे हैं कि वे इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं हैं, लेकिन मैंने जो कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 22 एटरेक्ट होती है वह इसलिए कहा कि बाकी 9 मांगे तो इंडस्ट्रियल वर्कर से संबंधित हैं इसलिए आई०डी० एक्ट की धारा 22 का मैंने जिकर किया। आपने कहा "You have been misled by the officers".

SHRI VAYALAR RAVI: It is a debatable point. The Industrial Disputes Act covers industrial workers.

SMT. SUSHMA SWARAJ: The postal services are considered as public utility services.

और उस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़ के बारे में आई०डी० एक्ट एप्लैक्ट होता है।

SHRI VAYALAR RAVI: No. That is only a stretching by your officers. It is not correct. Even telecom never comes under that.

SMT. SUSHMA SWARAJ: I have a legal background also.

इसलिए इन चीजों को एग्जामिन करके ही बोल रही हूं, कम से कम इतना तो भरोसा है।

सभापति जी, वे कहते हैं कि आपने चीजों का खुलासा क्यों नहीं किया। आपने यह लिख दिया कि सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है। आपने यह लिख दिया कि सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। आप तो जानते हैं और शासन-प्रशासन की जानकारी शायद हम सब से ज्यादा आपको है। जो चीजें कैबिनेट से एप्रूव होनी है उनको मैं इशारों में ही कह सकती हूं। उनका यहां खुलासा नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उन्हें बताया, बेसेज बताए, जिसको यह एग्रीड फार्मूला कह रहे हैं वह एग्रीड फार्मूला तो नहीं है, लेकिन जो मिनिमम एक्सैप्टेबल फार्मूला उनका था जिसको बेस बना करके बात कर रही थी, लेकिन मैं यह कैसे खुलासा कर दूं, चीजें कैबिनेट से एप्रूव होनी हैं, लेकिन यह संकेत है कि समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं ई०डी० की समस्या से वाकिफ हूं और उनकी समस्याओं का समाधान संतोषजनक ढंग से निकालने की बात कर रही हूं, यह संकेत काफी होना चाहिए।

श्री सुन्दरम जी ने और विरुंबी जी ने जो कालेज एडमिशंस के फार्म की बात कही है वाकई मैं यह कंटिंजेंसी प्लान मुझे प्रिसाइजली उसके लिए बनानी पड़ी। ये लोग हमेशा पोस्टल स्ट्राइक का समय चुनेंगे तो जुलाई का समय चुनेंगे ताकि आम पब्लिक, वैसे शायद उसे उतनी इनकनवेनिएंस नहीं हो लेकिन आज के दिन सब से ज्यादा असुविधा में बच्चे हैं, क्योंकि उनके एडमिशंस फार्म्स जा रहे हैं। कालेज की एडमिशंस चल रही है। ताकि इस समय इसका असर वह दिखा सकें। तो क्या मैं पब्लिक को इनकनवेनिएंस में रहने दूं।

They want to hold the entire country to ransom.

अगर मैं एक तरफ यह कहती हूं कि स्ट्राइक विदड्रा करो मैं तुम्हारे लिए भी कर रही हूं तो दूसरी तरफ संचार मंत्री के नाते मेरा यह भी फर्ज बनता है कि जनता को कम-से-कम कष्ट होने दूं। पूरी असुविधा खत्म कर दूंगी, इस का दावा तो कर नहीं सकती क्योंकि आखिरकर पूरे पोस्ट आफिसेस फंक्शन करने और आइडेंटीफाइड पोस्ट आफिसेस के फंक्शन करने का अर्थ तो रहेगा, लेकिन पोस्टल सर्विसेस बिल्कुल कालेप्स हो जाने दूं, यह कैसे होगा? कंटेजेंसी प्लान तो मुझे बनाना है, लेकिन मुझे दुख हुआ जिस शब्द का इस्तेमाल कमला जी ने किया उसे सुनकर। बूट-लेगर्स का इस्तेमाल कर रही हूं, बूट-लेगर्स के माध्यम से कंटेनजेंसी प्लान चला रही हूं। जो मन में आएगा बोलेंगे, जो शब्द चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। इन के लिए संसदीय, असंसदीय कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई भी अगर कहूंगी तो खड़े होकर बहिर्गमन करेंगे। कोई आखिरकार समय की नजाकत को, वक्त की जरूरत को देखना है कि नहीं? ये सोच सकते है कि देश में एडमीशन फार्म नहीं जाएगा तो क्या होगा, लेकिन मैं नहीं सोच सकती। मैं भाई जान फर्नांडिस को बताना चाहूंगी जिन्होंने अभी कूरियर कंपनी की बात की थी कि वाक्यी कूरियर सर्विसेज को बुलाना और उन्हें सोशल आब्लीगेशंस का एहसास कराना मेरे कंटेंजेंसी प्लान में है और शायद इसी तरह की खास तौर पर एडमीशन फार्म्स वगैरह की जो चीजें है, मैं कहूंगा कि हम सार्ट आउट कर के देंगे, आप उन को डिलीवर

कीजिए। कूरियर सर्विसेस कर के कोई बूटलेगर्स का एम्प्लायमेंट करने नहीं जा रहे हैं। कूरियर सर्विस को बुलाकर बात करना यह मेरे कंटेजेंसी प्लान में है, लेकिन आप ने कहा कि मैंने प्राइवेट एजेंसीज का मेंशन किया है कि वह कौन-कौन सी हैं और कैसे चिट्ठियां हेंडल करेंगे? मैं पूछूंगी कि कहां से लिया आप ने यह फैक्ट? मैंने तो कहीं अपनी स्टेटमेंट में यह नहीं कहा कि मैं ऐसे ही अनाप-शनाप किसी प्राइवेट एजेंसी को बुला रही हूं। कंटेजेंसी प्लान में से आप ने यह कहां से निकाल लिया कि वह किस पालिटिकल पार्टी के होंगे, कौन होंगे। हां, अगर दिमाग चल ही उस तरफ रहा है तो बात और है। सभापति जी, मैंने कहीं नहीं कहा, एक बार मेंशन तक नहीं किया कि मैं किसी पालिटिकल पार्टी के लोग बुला रही हूं या कोई प्राइवेट एजेंसी बुला रही हूं। एस्टेब्लिस्ड कूरियर सर्विसेस जिन की आप ने बात की, उन को मैंने कंटेजेंसी प्लान में रखा है। इस तरह से हम बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकते हैं कि मैं किसी प्राइवेट एजेंसी को ऐसे कहीं से ही उठा लाऊंगी और मनी-आर्डर और चिट्ठियां उन के हाथ पकड़ा दूंगी? जिस दिन कंटेजेंसी प्लान आपरेशनलाइज होगा, आप देखेंगे कि उस कंटेजेंसी प्लान को कितना सोच-समझकर, सूझबूझ से बनाया गया है और वह कंटेजेंसी प्लान तैयार करना मेरा फर्ज है कि नहीं? जनता के प्रति मेरा कोई उत्तरदायित्व है कि नहीं? ये लोग अगर गैर-जिम्मेदाराना आचरण कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती।

सभापति जी, इसलिए मैं आप से कहना चाहती हूं कि दोनों तरफ से मैं आगे बढ़ रही हूं। जहां तक मसलों को हल करने का सवाल है और केवल ई०डी० का नहीं, ई०डी० बोनस भी है। पोस्ट मेन वाला मैंने ऑलेरेडी कर दिया है। ये तीनों मसले मैंने अपने हाथ में लिए हुए हैं। जहां तक पांचवें वेतन आयोग से संबंधित 7 मांगों का सवाल है, वह मांगें एनामॉली कमेटी को जाएंगी और आज किसी संसद सदस्य ने उस बारे में बात भी नहीं की। जहां तक ई०डी० की वेदना का प्रश्न है, मैं आप के साथ रही हूं। जो बात यहां जनार्दन पुजारी जी ने कही, आप यूनियन के उन लीडर्स से पूछिये क्या शब्दशः यही बात जो आप ने अंग्रेजी में कही, वह मैंने हिंदी में नहीं कही थी कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही हूं। आज ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है अपने हाथ से निर्णय करने की, मुझे आगे बढ़ने दो। एक्जैक्टली यही बात मैंने कही थी। लेकिन अगर पीछे से मोटीवेशन ये हो कि नहीं उन के हाथ से लेना नहीं है, दबाव में लेना है, हड़ताल कर के लेना है, यह दिखाकर लेना है कि हम लोगों के पास ताकत है लेने की, तो अगर इस तरह का कोई प्रेशर करवाकर सरकार को झुकवाना चाहेगा तो कोई सरकार, शायद असहाय सरकार झुक जाती, यह सरकार असहाय नहीं है। यह सरकार इस तरह नहीं झुकेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जहां तक मसले का हल है, पूरी संवेदना से हल करूंगी। जहां तक दृढ़ता का सवाल है, पूरी दृढ़ता से जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, I adjourn the House for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at forty-four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-seven minutes past two of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are three Special Mentions left out. There was a suggestion that those Special Mentions should be taken up after first lunch. If the House so agrees, then we would take up; otherwise, we will go ahead with the discussion on which Mr. O. Rajagopal has to speak.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, we will take only ten minutes. These Special Mentions are very important.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two speakers, Mr. Fernandes and Mr. Das. दो ही हैं। एकदम फास्ट बोल दीजिए मिस्टर दास क्योंकि यह अगला अच्छा डिसक्शन है एच०आर०डी० मिनिस्टरी का। कंट्रोवर्सी मत फैलाइएगा।

SPECIAL MENTIONS

Transit Facilities for North-Eastern States, Through Bangladesh, for Transportation of Goods, Materials and Passengers.

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA): Madam Deputy Chairman, I thank you for giving me an opportunity to raise an important issue of "Transit facilities for North-Eastern States, through Bangladesh, for transportation of goods, materials and passengers". Even after 50 years of independence, the North East remains volnerably placed in terms of